सं0 सं0–2/नियुक्ति–04/16– 1061(2)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शेखर चन्द्र वर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी/
सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक/
सभी सिविल सर्जन, बिहार ।

पटना, दिनांक– 22-7-2016

विषय– नवनियुक्त चिकित्सा पदाधिकारियों के स्थानांतरण के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मई एवं जून 2016 में बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विभाग के स्तर से चिकित्सा पदाधिकारियों को विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में पदस्थापित किया गया है । इसमें यह प्रावधान किया गया है कि अगर किसी चिकित्सा संस्थान में स्वीकृत पद से अधिक चिकित्सक पदस्थापित हो गये हैं, तो उन मामलों में बाद में योगदान करने वाले अतिरेक चिकित्सा पदाधिकारियों को जिला में रिक्त पदों पर जिला पदाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर समायोजित करते हुए सूचना विभाग को दी जाए । किसी भी परिस्थिति में इन नवनियुक्त चिकित्सा पदाधिकारियों को स्थानांतरित नहीं किया जाना है ।

ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि कई जिलों में सिविल सर्जन द्वारा इन नवनियुक्त चिकत्सकों का भी स्थानांतरण किया गया है, जो सर्वथा अनुचित है । अतः उक्त के अतिरिक्त जिन जिलों में नवनियुक्त चिकित्सा पदाधिकारियों को स्थानांतरित किया गया है, उन सभी स्थानांतरण को तत्कालीन प्रभाव से रद्द किया जाए ।

सभी क्षेत्रीय अपर निदेशकों को आदेश दिया जाता है कि वे अपने कार्यक्षेत्र अंतर्गत जिलों की समीक्षा कर इस संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन विभाग को एक पक्ष के अंदर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए ।

22/7/16

(शेखर चन्द्र वर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव